भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 3305
गुरुवार 12 मार्च, 2026/21 फाल्गुन, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संपर्क का विस्तार

3305. श्रीमती भारती पारधीः
श्री नरेश गणपत म्हस्केः
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणेः
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकरः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पूरे देश में और विशेषकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संपर्क और यातायात अधिकारों का विस्तार करने के लिए किए गए या विचाराधीन द्विपक्षीय या बहुपक्षीय हवाई सेवा समझौतों का ब्यौरा क्या है;
(ख) उन्नत हवाई सेवाओं के लिए प्राथमिकता प्राप्त देशों और क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और पारस्परिक यातायात अधिकार आवंटन क्या हैं;
(ग) ऐसे समझौतों से भारत के पर्यटन, व्यापार, प्रवासी आवागमन और माल ढुलाई संपर्क के लिए अपेक्षित लाभों का ब्यौरा क्या है;
(घ) इन रूपरेखाओं को अंतिम रूप देने और कार्यान्वित करने में राजनयिक, आर्थिक और विमानन नियामक चैनलों की क्या भूमिका है; और
(ङ) क्या नए या संशोधित हवाई सेवा समझौतों से वाणिज्यिक प्रभावों, क्षमता उपयोग और रणनीतिक लाभों को मापने के लिए कोई आकलन किया गया है, यदि हों, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ङ) **:** वर्तमान में भारत के 116 देशों के साथ द्विपक्षीय हवाई सेवा करार (एएसए) हुए हैं। हवाई क्षमता पात्रताओं में वृद्धि सहित हवाई सेवाओं से संबंधित मामलों पर वार्ता एक सतत प्रक्रिया है और इससे पहले विदेश मंत्रालय और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) सहित संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श किया जाता है। इस प्रकार की वार्ताओं में भारतीय विमानन क्षेत्र को लाभ, संबंधित देश में भारतीय प्रवासियों की उपस्थिति, भारतीय वाहकों की भविष्य की विस्तार योजनाओं, पारस्परिकता के सिद्धांतों, दोनों देशों के बीच लाभों के संतुलन और अन्य प्रासंगिक सरोकारों सहित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

एएसए के अनुसार, भारतीय नामित वाहक परस्पर सहमत क्षमता सीमा के अनुसार विदेशी गंतव्यों के लिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के स्थानों (प्वाइंट) सहित भारत में किसी भी स्थान के लिए/ स्थान से परिचालन करने हेतु स्वतंत्र हैं, जबकि कोई भी नामित विदेशी एयरलाइन भारत में किसी स्थान के लिए/स्थान से परिचालन कर सकती है, यदि उस स्थान को उस देश के साथ एएसए में प्वाइंट ऑफ कॉल (पीओसी) के रूप में नामित किया गया हो। वर्तमान में, महाराष्ट्र में मुंबई, नागपुर, पुणे और औरंगाबाद तथा मध्य प्रदेश में खजुराहो विभिन्न देशों की नामित एयरलाइनों के लिए पीओसी के रूप में उपलब्ध हैं।

नए या संशोधित एएसए का उद्देश्य हवाई संपर्क को बढ़ाना है, जिससे व्यापार, पर्यटन में वृद्धि और देशों के बीच व्यापक आर्थिक सहभागिता को बढ़ावा मिलता है।

******